Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021.

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपकी अनुमति से सम्माननीय सदन के सम्मुख भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते बड़ी विनम्रता से हिन्दुस्तान की आज़ादी के 75वें वर्ष में 'अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में, मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हमारे देश में महिला समानता... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी तो यह इंट्रोड्यूस ही होना है। क्या आप इस पर ज्यादा बोलना चाहती हैं?

... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : जी हाँ।... (व्यवधान)

महिला समानता के दृष्टिकोण से, age of marriage की दृष्टि से महिलाओं की विवाह की आयु को बढ़ाने के इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties... ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप केवल मूव कीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय सभापति जी, मैं मूव कर रही हूँ।... (व्यवधान) आपकी अनुमति से केवल थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ।... (व्यवधान) The enactments relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act, 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, the

Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955, the Foreign Marriage Act, 1969 की सहमति नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप मूव कीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: इसलिए आपकी अनुमति से, age of marriage की दृष्टि से,... (व्यवधान)

Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

"कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (**बहरामपुर**): माननीय सभापति जी, आज अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिज़नेस में हमें यह देखने को मिला कि the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021 लाया गया।,... (व्यवधान)

मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ कि हड़बड़ी में कोई भी चीज करने से गड़बड़ी होती है।,... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ-साथ, सरकार ने अब तक न किसी स्टेक होल्डर से बातचीत की, न किसी स्टेट से कंसल्ट किया गया है और जल्दीबाजी में अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस बिल को लाया गया।,... (व्यवधान) एक के बाद एक बिल

सरकार इस तरह से क्यों लाती है, यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है। इससे सरकार के नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। हमारी मांग है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your Leader has already spoken.

… (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूँ क्योंकि लॉ कमीशन की 18वीं रिपोर्ट में कंसल्टेशन पेपर, जो रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ है, उसमें भी लिखा गया है,

> "That the age of majority, 18 years, should be recognised uniformly, as the legal age for marriage for men and women alike."

यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। इस बिल के द्वारा विभिन्न पर्सनल लॉज अफेक्ट होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर स्क्रूटनी के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray ji, be attentive. You may speak now.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to oppose the introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021.

As it is, I oppose the way in which the Government has brought this Bill in a hurry. This Bill needs total discussion among all stakeholders. The minority people are totally opposed to this Bill.… (*Interruptions*)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir. I oppose the very introduction of this Bill. This Bill is unwanted, unconstitutional and violative of Article 25 of the Constitution. This Bill will have far-reaching consequences.… (*Interruptions*) This Bill is an attack on the personal law and the fundamental rights of the people of this country. The Government should withdraw this Bill. This, of course, is nothing but to gain the… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the basic purpose of a legislation is to see whether the law is enforceable. As far as this Bill is concerned, which aims at enhancing the marriage age from 18 to 21, I would like to know whether this law can be enforceable? The rural population, especially the uneducated and unemployed girls, will have to wait up to 21 years of age for getting married. So, I would first like to know whether this law is enforceable or not.

Secondly, to acquire citizenship, 18 years of age has been prescribed by the Constitution … (*Interruptions*) It is the right of a girl, at the age of 18 to have… (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, this is a retrogressive amendment. This is against the right to freedom under Article 19. An 18-year old can choose a Prime Minister, can have a live-in relationship, can have sexual relation under POCSO Act, but the Government is denying them the right to marriage. What have you done

for the 18-year old? The women's labour force participation in India is lower than Somalia. Sir, 89 per cent of the fund for 'Beti Bachao, Beti Padhao' was used for other multifarious publicity.

This is a retrogressive step and should be taken back. This is against the … (*Interruptions*)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदय, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सरकार का सदन में काम करने का क्या तरीका है? … (व्यवधान) हमें कल तक जो बिल दिखाया गया था, उसकी तैयारी कर के हम लोग आए, अब सप्लिमेंट्री लिस्ट ऑफ बिज़नेस सर्कुलेट कर के यह बिल पेश किया गया है। … (व्यवधान) यह सही तरीका नहीं है। … (व्यवधान) हमें इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान) सर, मुझे बात करने दीजिए। … (व्यवधान) इस बिल पर सही तरीके से चर्चा करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान) जेपीसी के पास यह बिल भेजने की व्यवस्था करें, यह मेरा निवेदन है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:

Shri P.R. Natarajan Ji ….

Shrimati Supriya Sadanand Sule Ji.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, send this Bill to the Standing Committee. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Exactly. … (*Interruptions*)

Hon. Chairperson, Sir, this is the second or third time consecutively that the Government is aggressively bringing in Bills and nobody from the Opposition is being consulted. Whatever is discussed in the Business Advisory Committee, is never implemented on the Floor of the House.

So, I want to first condemn this new practice that the Government is following. The Government wants to pass the Bill. The Bill needs to be scrutinised and all the stakeholders should be consulted. Then, I think, we must unanimously pass any reforms, if they have got to do with women. I think, if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed discussions to the Standing Committee.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for the opportunity.

Sir, there are people who support this Bill and there is a lot of opposition to this Bill also. Except the Women's Reservation Bill, the Government does not believe in consulting with anybody. So, I think, it is very important that such an important Bill has to be sent to the Standing Committee or to the Select Committee. They have to review it, ask for opinions from civil society, and then bring in this Bill.

श्री अनुभव मोहंती (**केन्द्रपाड़ा**) : चेयरमैन सर, मुझे सदन में रहते हुए सात वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है। … (व्यवधान) मैं राज्य सभा में भी था और आज लोक सभा में हूं। … (व्यवधान) ऐसे कई विषयों पर यहां बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिन पर बहुत अच्छी तरह से डिबेट की गई, डेलिब्रेशन्स हुए हैं, बहुत लंबी चर्चा भी हुई है। … (व्यवधान) कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी सलेक्ट कमेटी में जाकर भी बिल्स पास हुए हैं। … (व्यवधान) लेकिन इस तरह से हेस्टिली, एक-

एक बिल को all of a sudden सप्लीमेंट के माध्यम से लाना, इंट्रोड्यूस करना, उस पर बिना चर्चा किए, बिना डिबेट पास करवाना ठीक नहीं है। … (व्यवधान) It is beyond democracy. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी – क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगी?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Hon. Chairperson, Sir, the gentleman Parliamentarian says that haste is a reflection of my introduction. … (*Interruptions*)

I would like to say to the hon. gentleman that we are in a democracy and 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. … (*Interruptions*)

महोदय, इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की आयु दस वर्ष थी। … (व्यवधान) 1940 तक शादी की आयु को 12 वर्ष से 14 वर्ष किया गया। … (व्यवधान) 1978 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। … (व्यवधान) आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में, समानता के अधिकार को देखते हुए, शादी-विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। … (व्यवधान)

यह कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है, तो वह अपने अधिकारों का न ज्ञान रख पाएगी, न उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी। … (व्यवधान) देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। … (व्यवधान) आज इस सदन के सम्मुख मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या, 20 लाख विवाह रोके गए हैं, यह रिसर्च हमको बतलाती है।

NFHS-5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 60 प्रतिशत बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। … (व्यवधान) 18 साल से कम उम्र में 23 प्रतिशत लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता और आज जो लोग यहां, विशेषकर पुरुष विरोध कर रहे हैं, जानबूझकर मेरी सीट के आगे आकर चिल्ला रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने अपनी बात रखी है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रही हैं, वे इस पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी सीट्स पर जाइए और उन्हें शांतिपूर्वक सुनिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I want to say that you should be … * that you all are devoiding women of the right to equality under the Constitution and this House cannot be witness to that disrespect to women is my contention today. … (*Interruptions*)

महोदय, जिन लोगों ने कहा कि यह अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, मैं उनका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के कथन पर आकृष्ट करना चाहूंगी। … (व्यवधान) Independent Thought Vs. Union of India, (382) of 2010. … (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि यह एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिन्दू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। … (व्यवधान)

महोदय, मैं इस निर्णय के समाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और मार्मिक विषयों को समझती हूं। ... (व्यवधान) मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर वे मेरी बात को पूरा सुन लेते, तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से यह प्रस्तावना करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। ... (व्यवधान) लेकिन यह भी कहना उचित होगा कि मुख्यत: आज जो आवाज़ें उठीं, उन आवाज़ों ने स्वीकार किया that the age of marriage should uniformly be applicable across all religions, all castes, and all creeds overriding any custom or any law which seeks to discriminate against women. So, those men who stood in this House in support of uniformity in applicability of the law have my gratitude.

Sir, on behalf of the Government, I would request that this Bill be sent to the Standing Committee. आज का यह निर्णय, यह इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। ... (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव न हो। ... (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों में गर्भवती होने से दस परसेंट मिसकैरेज का जो चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में यह प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। ... (व्यवधान) महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधान मंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और सदन से विनम्रता से अपील करती हूं कि मुझे यह बिल इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I introduce the Bill. … (*Interruptions*)

____

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 25, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (<u>व्यवधान</u>)